

17/2014 डाबर सिटि - चतरशराम आदि

दिनांक	आज्ञा पत्र	
--------	------------	--

4-12-20

पत्रावली प्रस्तुत अभिवापक जंदा ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19-2-21 को पेरा हो।

19-2-21

पत्रावली पेरा। वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वो अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फौजदारी नम्बर होकर नम्बर से कम होकर बाद तस्तीय दफ्तर दाखिल दफ्तर हो।

मु-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर